

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-2/टि0-07/2019-1206(2)/स्वा0,

पटना, दिनांक: 29/06/2019

बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी, जो विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, को कार्यहित में स्तम्भ-6 में अंकित जिला/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	विभाग में योगदान की तिथि	चिकित्सा पदाधिकारी के विशेषज्ञता का विषय	नवपदस्थापित स्थान/ सर्जन्सी
1	2	3	4	5	6
1	डा0 नवीन्द्र कुमार	पटना	21.06.2019	शिशु रोग विशेषज्ञ	सदर अस्पताल, औरंगाबाद
2	डा0 कृष्ण मोहन वर्मा	प0 चम्पारण	20.03.2019	सर्जन	सदर अस्पताल, सहरसा
3	डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव	मधुबनी	21.06.2019	सामान्य चिकित्सक	सदर अस्पताल, रोहतास
4	डा0 विनय कुमार	दरभंगा	11.06.2019	सामान्य चिकित्सक	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी

2. पदस्थापित/स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों के कॉलम-4 में अंकित योगदान की तिथि से अधिसूचना निर्गत की तिथि तक की अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। ऐसे सभी चिकित्सा पदाधिकारियों के पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गई अवधि का वेतन संबंधित अस्पताल के अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 2/टि0-07/2019-1206(2)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 29/06/2019


प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि: संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधिसूचित पदाधिकारी के नाम अथवा उनके पूर्व पदस्थापन में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा।
- प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
29.6.2013  
सरकार के संयुक्त सचिव